न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 32 / 2024 तारीख रजू :– 18.06.2024

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री पूजा मीना (आर.ए.एस.)

चिंरजी पुत्र प्रभुदयाल जाति मीना, निवासी खौहरा तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0।

सायल

बनाम

1 गंगासहाय पुत्र हजारया	जाति मीना
2 मुनेश पुत्र गंगासहाय	निवासी खौहरा
3 रामकेश पुत्र गंगासहाय	तह0 टोडाभीम
4 केशर पत्नि गंगासहाय	जिला गंगापुर सिटी राज0।

5 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :– सुनील जिन्दल एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 24.06.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 1190 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 1207 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 2784 / 1208 रकबा 20 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 0:52 [illegible] जिला करौली में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है [illegible] से प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई [illegible] नहीं है। आराजी ख0नं0 2785 / 1208 रकबा 53 ऐयर कुल किता 1 कुल रकवा 0:53 है0 ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जो आराजी ख0नं0 2785 / 1208 रकबा 53 ऐयर कुल किता 1 कुल रकवा 0:53 है0 ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

में स्थित है। जो अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है उक्त आराजी प्रार्थी के खेत ख0नं0 2785/1208 रकबा 20 ऐयर के लगवा है। तथा प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। तथा आज भी काश्त कर रहा है आराजी ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर तथा ख0नं0 2785/1208 रकबा 53 ऐयर ग्राम खौहरा में एक ही ख0 नं0 1208 था तो प्रार्थी व प्रार्थी नं0 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी रही है तथा दोनों के द्वारा सहमति से पटवारी हल्का व तहसीलदार के सामने बटवारा कराने के वाद उक्त आराजी के दो हिस्से बने है जो उत्तर –दक्षिण बतरफ पूर्व की ओर तिरछा ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर बना है जो प्रार्थी के हिस्से में आया तथा उसके लगवा वतरफ पश्चिम ख0नं0 2785/1208 रकबा 53 ऐयर बना है जो अप्रार्थी नं0 1 के हिस्से में आया जिस पर प्रार्थी एवम अप्रार्थी नं0 1 अपनी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त आराजी पर काबिज एवम दखील है एवम काश्त कर रहे है बाका दिनांक 10:06:2024 सुबह करीब 9 का है कि प्रार्थी अपनी आराजी की सार संभाल कर रहा था कि अप्रार्थी नं0 1 ता 4 आये तथा कहने लगे कि तुम इस जमीन को खाली कर दो, हम इस पर कब्जा करेंगें तथा तुम्हारा हिस्सा पीछे की तरफ देगे इस पर वादी द्वारा उन्हे समझाया कि भाईयो उक्त आराजी मेरी है तुमने सहमति से बटवारा करा कर ही मैने प्राप्त की है तुम मुझे नाहक ही क्यो परेशान करते हो इतना सुनते ही अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे हम उक्त आराजी पर कब्जा करेंगें तथा तुमको उक्त आराजी को काश्त नही करने देगे, इस प्रकार अप्रार्थीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार द्रव्य में भी संभव नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश किया है कि अप्रार्थीगण को पावन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर सहित ख0नं0 1190 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 1207 रकबा 16 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 0:52 है0 ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली में मजाहमत मदाखलत नही करे, आराजी से बेदखल का स्वंय कब्जा नही करे प्रार्थी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे आराजी को नाकाबिल काश्त नही बनावे, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया कि अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी भूमि ख0 नं0 2785/1208 रकवा 53 ऐयर स्थित ग्राम खोहरा के सटवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

सायल की भूमि खं0 नं0 2784/1208 रकवा 20 ऐयर होने से सायल जबरन गैरसायल नं0 1 की खं0 नं0 2785/1208 की डोल मेंड को तोडकर जबरन मिलाना चाहता है सायल द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया है सायल गलत इरादे की पूर्ति करने के लिए गैरसायलान को न्यायालय से पावंन्द कराना चाहता है गैरसायल नं0 1 व 4 बुर्जुग है तथा गैरसायल नं0 2 व 3 बाहर रहते है जिसका सायल नाजायज फायदा उठाकर न्याय़ालय के समक्ष गलत तथ्य रखकर गैरसायल की डोल मेढ को तोडने के उद्वेश्य से न्यायालय से पावंन्द कराना चाहता है मैने उभय पक्षकारान की बहस सुनी सायल अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो दोहारते हुए निवेदन किया कि आराजी आराजी ख0नं0 1190 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 1207 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 0:52 है0 ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो उसे सहमति के द्वारा बटवारे में प्राप्त हुई अप्रार्थीगण प्रार्थी के ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर पर जवरदस्ती कब्जा करना चाहते है इसलिए अप्राथीगण को पावंन्द किया जावे अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी को उौल मेढ को अपनी आराजी में मिलाना चाहता है तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया मैने मैने उभय पक्षकारान की बहस तथा पत्रांवली में प्रस्तुत दस्तावेजात किया ये निविवादित है कि आराजी ख0नं0 1190 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 1207 रकबा 16 ऐयर ख0नं0 2784/1208 रकबा 20 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 0:52 है0 ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली प्रार्थी की खातेदारी में है तथा ख0नं0 2785/1208 रकबा 53 ऐयर ग्राम खौहरा तह0 टोडाभीम जिला करौली अप्रार्थी की खातेदारी में है दोनो पक्षो को आराजी वटवारे में प्राप्त हुई है दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी पर काबिज है इसलिए मूल दावे के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को पावंन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की खातेदारी व कब्जे की आराजी में मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टोडाभीम, जिला-करौली